न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

(8)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/04/2015	15–10–2015	30–12–2019

01– भगवान सहाय पुत्र श्री पांचू जाति मीणा निवासी ग्राम नांगल बानी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

01– भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी थानागाजी।
02– मूला पुत्र श्री गणेश जाति मीणा
03– बोदनलाल उर्फ बोदू पुत्र श्री प्रभु जाति मीणा
04– कैलाश पुत्र श्री रामपाल पौत्र प्रभु जाति मीणा
05– पिंकी पुत्री श्री रामपाल पौत्री प्रभु जाति मीणा निवासीयान् ग्राम नांगल बानी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

–अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) विरूद्ध आदेश दिनांक 15.09.1975

उपस्थितः–
01–श्री श्योरामसिंह नरूका –वकील प्रार्थी
02–श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल –वकील अप्रार्थीगण सं0 2 से 5

–:निर्णयः–

अपीलांट ने यह प्रा.पत्र के आदेश दिनांक 15.09.1975 जिसके आराजी खसरा नम्बर 87/2 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 795 रकबा 1.14 है0 के ग्राम नांगलबानी तहसील थानागाजी का बेजा तौर पर अप्रार्थीगण को आवंटित किया गया, से व्यथित होकर पेश की है। प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवंटन के समय विवादित आराजी की भूमि निर्जन भूमि नहीं थी, यानि वक्त आवंटन उक्त भूमि खाली नहीं थी। उस भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त था। इसलिए अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। उक्त आवंटन में प्रावधानों की पूर्ति नहीं की गयी है। आवंटन कराने हेतु अप्रार्थी सं0 2 द्वारा खसरा नम्बर 87 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा बाबत प्रा0पत्र पेश किया गया था। जबकि आलोच्य आवंटन मूला, प्रभु पुत्रान गणेश मीणा को किया गया था तथा प्रभु द्वारा कोई प्रा.पत्र पेश नहीं किया गया था।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

आवंटन 07 बीघा का किया गया और दखलनामा 04 बीघा 10 बिस्वा का दिया। कहीं पर खसरा नम्बर 87 है तो कहीं पर 87/1 है, कहीं पर 87/2 है तथा कहीं पर 87/3 है। भूमि आवंटन अधिनियम 1970 के अनुसार बाद आवंटन, आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत काश्त होना आवश्यक है व दूसरे वर्ष में सम्पूर्ण भूमि पर काश्त किया जाना आवश्यक है। लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। आवंटन से पूर्व आवंटन अधिकारी द्वारा विज्ञप्ति जारी की जानी चाहिए थी। जिसमें खसरा नम्बर व रकबा अंकित किया जाना आवश्यक है। किन्तु कोई विधिवत् विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी। आवंटन के बाद दखलनामा सही जारी नहीं किया गया। अप्रार्थीगण प्रार्थी को गलत इन्द्राजात् के आधार पर बेदखल करना चाहते है। खसरा नम्बर 795 से लगता हुआ खसरा नम्बर 794, 87, 809 की भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि है। इस कारण आराजी खसरा नम्बर 795 के साबिक खसरा नम्बर 87 था। आवंटन के बाद भू–आवंटन अधिकारी द्वारा पटवारी को जो सूचना दी गयी उसमें ना तो लिस्ट दी गयी और किस–किस व्यक्ति को कितनी–कितनी भूमि आवंटन हुई है। लगान कितना दिया गया सिंचाई का साधन क्या है, नहीं बताया गया है। आवंटित भूमि पर आज भी प्रार्थी का कब्जा व काश्त है। प्रार्थी की रिहायश बनी हुई है जिसमें दो झोपडी, छप्पर, एक घर व बाडा, पानी हेतु प्रार्थी ने बोरिंग की हुई है। सारा निर्माण आवंटन से पूर्व बना हुआ है। मौका रिपोर्ट तहसीलदार थानागाजी दि0 20.08.2015 को खसरा नम्बर 795 रकबा 1.14 है0 मौका रिपोर्ट बनायी गयी है जिसमें दर्ज किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 795 के पूर्वी दिशा में लगभग 0.25 है0 रकबे में भगवान सहाय पुत्र पांचूराम ने कब्जा कर रखा है। जिसमें एक बोरिंग, दो झोपडी व एक घर जिसकी दीवार पक्की तथा उपर छान डाल रखी है एवं निर्माण हेतु पत्थर डाल रखे है तथा नीम खोद रखी है। प्रार्थी द्वारा बनायी गयी बोरिंग में पानी का पम्प सैट लगा हुआ है। उक्त आवंटन की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दि0 28.08.2015 को दी गयी। जिसके बाद शीघ्र नकल प्राप्त कर प्रा0पत्र पेश किया गया। प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पृथक से पेश किया जा रहा है। अतः प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 87, 87/2 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 795 रकबा 1.14 है0 वाके ग्राम नांगलबानी तहसील थानागाजी बाबत आवंटन आदेश दि0 15.09.1975 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं0 2 लगा0 5 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि यह कहना गलत है कि आवंटन के समय विवादित आराजी निर्जन भूमि नहीं हो। आवंटन से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 87 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा पर अप्रार्थी आवंटी मूला व प्रभु का कब्जा काश्त चला आ रहा था। आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुसार आराजी आवंटित की गयी थी। प्रार्थी का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। आराजी खसरा नम्बर साबिक 87 का कुल रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा का था जो आराजी सिवायचक थी। जिस सालिम रकबे पर अप्रार्थी मूला व प्रभु का कब्जा था। जिस पर आवंटन कमेटी ने उक्त खसरा नम्बर को आवंटन किया। आवंटन के बाद अप्रार्थीगण का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। आवंटित प्रभु का स्वर्गवास हो गया है। जिसके वारिस बोदनलाल एवं उसका भाई रामपाल हुए। रामपाल का स्वर्गवास हो गया। जिसके वारिस

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

कैलाश व पिंकी है। उपरोक्त विवादित आराजी पर अप्रार्थी सं0 02 लगा0 05 का निरंतर कब्जा चला आ रहा है। आवंटन अधिकारी विधिवत् विज्ञप्ति जारी कर नियमानुसार आवंटन किया गया है। प्रार्थी का विवादित आराजी पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा। प्रार्थी का आंवटित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा। ना वर्तमान में कोई कब्जा काश्त है। प्रार्थी ने हम अप्रार्थीगण की गरीबी का लाभ उठाते हुए खातेदारी की आराजी के तरफ पूर्व की ओर करीब 01 बीघा आराजी पर दि0 20.06.2015 को जबरन कब्जा कर लिया था। जिस बाबत हम अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के खिलाफ धारा 183बी आरटीएक्ट के तहत प्रा0पत्र पेश किया गया, जो प्रा0पत्र दि0 29.03.2016 को तहसीलदार थानागाजी द्वारा स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी से कब्जा हटवाकर हम अप्रार्थीगण को कब्जा दिलाये जाने के आदेश पारित किये गये है। प्रार्थी द्वारा दि0 15.09.1975 के आवंटन को 42 साल बाद चैलेंज किया है। जबकि उक्त आवंटन की जानकारी प्रार्थी को आवंटन के दिन से ही थी। प्रा0पत्र मियाद बाहर है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र 14(4) खारिज फरमाया जावें। बहस के समर्थन में आरआरडी 2005 पेज 90, आरआरडी 2009 पेज 654, आरआरटी 2018(1) पेज 299, आरआरटी 2018(2) पेज 1007 एचसी, आरआरडी 2008 पेज 454 नजिरे पेश की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन विधिवत् विज्ञप्ति जारी कर किया गया है तथा उक्त आवंटन की पालना में अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है। अप्रार्थीगण द्वारा पेश की नजिर आरआरटी 2018(1) पेज 299 एवं आरआरटी 2018(2) पेज 1007 हाईकोर्ट स्पष्ट चस्पा होते है। जिनमें कहा गया है कि "खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के बाद आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता"] प्रा0पत्र धारा 14(4) भू–आवंटन अधिनियम 1970 खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 14(4) भू–आवंटन अधिनियम 1970 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर